राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

जगमग हैल्पलाईन :– 07432–230645,
07432 –230646

फोन न. 07432–230403, फैक्स न. –230404
Email: dm-jha-rj@nic.in

क्रमांक / न्याय / 2018 / 938

दिनांकः 15.02.2018

–: आदेश :–

पुलिस अधीक्षक झालावाड ने पत्र सं0 सीबी / विविध / झाला / 17 / 4550–51 दिनांक 12.02.2018 से पुलिस थाना सदर झालावाड के अभियोग सं0 211 / 17 धारा 3 / 25, आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त भोपालिया पुत्र हीरा जाति कंजर उम्र 28 साल निवासी डेरा कंजरान तीतरवासा थाना सदर झालावाड के विरूद्ध आर्म्स एक्ट की धारा 3 / 25 के अंतर्गत धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने हेतु मूल पत्रावली भिजवाई है।

प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 01.12.2017 को एसआरजी अस्पताल झालावाड के इमरजेसी वार्ड मे जेर इलाज मजरूब श्री रामकैलाश पुत्र मान्या उर्फ मान सिंह जाति कंजर उम्र 22 साल निवासी नयागांव सांकलीखेडा थाना सदर ने पर्चा बयान किया कि आज दिनांक 01.12.2017 को दिन के 12 बजे हम सभी घर वाले घर पर बेठे थे तभी तीतरवासा व किशनपुरिया कंजर डेरे सेभोपालिया पुत्र हीरा कंजर निवासी तीतरवासा 2 कालू पुत्र हीरा कंजर निवासी तीतरवासा 3 नाथू पुत्र बन्या कंजर निवासी तीतरवासा 4 चेतन पुत्र बन्या कंजर निवासी तीतरवासा 5 बाबू उर्फ बाबूडिया पुत्र चेतन 6 राम सिंह पुत्र रमेश निवासी तीतरवासा 7 राजाबाबू पुत्र भगवतिया कंजर निवासी किशनपुरिया 10 नंदकिशोर पुत्र भगवतिया कंजर निवासी किशनपुरिया 11 ज्ञान सिंह का लडका 4 मोटर सायकलो पर बैठकर ये 4 मोटरसाईकिलो पर बेठकर बन्दूके, तलवार, लाठियो से लेस होकर हमारे डेरे पर आये। आते ही चेतन कंजर ने कहा कि मेरी बेठी झमकू बाई के झगडे की रकम तूम लोगो को देनी है, इस पर मेरे बडे भाई भगवान सिंह ने कहा कि जात पंचायत करलो लडाई क्यो करते हो। ये कहते ही राजबाबू कंजर ने मेरे भाई भगवान सिंह को जान से मारने की नियत से 12 बोर बदूंक से फायर कर दिया। इसके बाद सभी ने हथियारो से मारपीट की इत्यादि पर प्रकरण स0 211 / 17 धारा 147, 148, 149, 307,336, 323 भादस दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

दौराने अनुसंधान निरीक्षण घटनास्थल किया फरियादी एंव गवाहान के कथन लेखबद्व किये अभियुक्त भोपालिया पुत्र कालू जाति कंजर के साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की इत्तला पर 1 देशी कटटा 12 बोर मय एक जिंदा कारतूस एंव एक खाली खोखा जप्त किया गया। प्रकरण मे उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर धारा 3 / 25, 4 / 25 आर्म्स एक्ट जोडी गयी। जप्तशुदा देशी कटटा व कारतूस का मेकेनिक मुआयना आरर्मोरर पुलिस लाईन झालावाड से करवाया गया तो उक्त देशी कटटा फायर करने योग्य है जो फायर आर्म्स की जद मे आता है तथा 1 जिंदा कारतूस फायर करने योग्य एंव फायर आर्म्स की जद मे आना पाया गया। अभियुक्त भोपालिया के नाम शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी होना नही पाया गया।

प्रकरण में सहायक निदेशक अभियोजन झालावाड़ की राय ली गई। सहायक निदेशक अभियोजन ने अपनी राय में व्यक्त किया है कि अभियुक्त के विरूद्व धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट के अपराध के लिए धारा 39 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने के प्रथम दृष्टया आधार पुष्ट होते है।

प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री अब्दुल लतीफ, एएसआई थाना सदर झालावाड व आरर्मोरर पुलिस लाईन श्री यंशवत सिंह उपस्थित हुए। मेरे द्वारा सील्ड देशी कटटा व कारतूसो को खुलवाकर भौतिक निरीक्षण किया गया एवं पुनः आर्मोरर की सील से सील्ड करवाया गया। जब्ती रिपोर्ट एवं आर्मोरर (Armourer) रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया गया। केस डायरी में उपलब्ध समस्त रेकार्ड, आर्मोरर (Armourer) की स्पष्ट रिपोर्ट, तथा सहायक निदेशक अभियोजन की राय से सहमत होकर एंव अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत प्रकरण आगे अभियोग चलाये जाने योग्य मानते हुए आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 39 में प्रदत्त शक्तियों के तहत अभियोजन स्वीकृति के पर्याप्त आधार होने के कारण अभियुक्त भोपालिया पुत्र हीरा जाति कंजर उम्र 28 साल निवासी डेरा कंजरान तीतरवासा थाना सदर झालावाड के विरूद्व आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 3 / 25 के अन्तर्गत अभियोजन चलाये जाने हेतु धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है।

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट, झालवाड